28-3-18

पत्रावली पेश हुइ

अधिवक्ता / वादी / प्रतिवादी / उभयपक्ष / उप

अनुपस्थित वारस्ता जल्तान

अधिवक्ता / प्रार्थी / अप्रार्थी / उभयपक्ष / उप.

अनुपस्थित

पत्रावली वास्ते ...... प्रतिउत्तर ......

आगामी पेशी दिनांक ...... 11-5-18 ......

को पेश हो ।

[signature]

11-5-18

पत्रावली पेश हुई

अधिवक्ता / वादी / प्रतिवादी / उभयपक्ष / उप

अनुपस्थित

अधिवक्ता / प्रार्थी / अप्रार्थी / उभयपक्ष / उप.

अनुपस्थित

पत्रावली वास्ते ...... बहस ....

आगामी पेशी दिनांक ...... 14-5-18 ......

को पेश हो ।

[signature]

14-5-18

पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। वादी अभिभाषक उप। वादी राम सिंह का शपथ-पत्र लाकर के पेश किया व बहस सुनी गई। मुताबिक राजीनामा निर्णय का कथन किया। वाद-पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। निर्णय अवार्ड के विरुद्ध अपील नहीं होगी। उक्त निर्णय राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार हो।

[signature]

[signature]

Ramsingh.

Scanned by CamScanner

(85)

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

रामसिंह बनाम मोहन लाल आदि

किस्म मुकदमा:– दावा 88 आर टी ए न. 336 सन् 2017

वकील प्रार्थी:– श्री रमेशदास पुरोहित वकील अप्रार्थीगण

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
2018	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान में कैम्प ग्राम पंचायत मक्कासर में प्रस्तुत हुई। वादी रामसिंह द्वारा वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात पर प्रदर्श अंकित किये गये। प्रदर्श 1 जमाबन्दी चक नं 2 जे आर के व प्रदर्श 2 जमाबन्दी चक नं 1 एम ओ डी प्रदर्श 3 वसीयतनामा चेतराम बहक रामसिंह व प्रदर्श 4 आंवटन आदेश दिनांक 15.06.1984 प्रदर्श 5 मृत्यु प्रमाण पत्र चेतराम व प्रदर्श 6 वसीयतनामा चेतराम बहक मोहन लाल पत्रावली पर उपलब्ध है। पक्षकारान के मध्य पूर्व में दिनांक 07.03.2018 को राजीनामा न्यायालय में प्रस्तुत होकर राजीनामा तस्दीक किया जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भी निरीक्षण किया गया। वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि चेतराम पुत्र डूगर राम के नाम चक नं 1 एम ओ डी के प. न. 102/250 (5) कि. न. 4, 5, 6, 7, 14, 15 तादादी 1.518 हैक्टर व चक नं 2 जे आर के के प. न. 102/249 (44) कि. न. 24, 25 तादादी 0.506 हैक्टर कुल तादादी 2.024 हैक्टर अर्थात 8 बीघा कमाण्ड अनकमाण्ड मय गैर मुमकिन गैर खातेदारी भुमि दर्ज जमाबन्दी है। चेतराम ने उक्त भूमि की तमाम किश्ते जमा खजाना राज करवाई हुई है। चेतराम ने अपने जीवन काल में अपनी स्वतन्त्र इच्छा से अपनी उक्त वर्णित गैर खातेदारी भुमि में से चक नं 1 एम ओ डी के प. न. 102/250 (5) के किला नं 6 7, 14, 15 तादादी 4 बीघा की वसीयत दिनांक 20.03.2015 को अपने भतीजे वादी राम सिंह के पक्ष में करवाई है तथा शेष 4 बीघा चक नं 1 एम ओ डी के प. न. 102/250 (5) के कि. न. 4, 5 तादादी 0.506 हैक्टर व चक 2 जे आर के प. न. 102/249 (44) के कि. न. 24, 25 तादादी 0.506 हैक्टर की वसीयत दिनांक 20.05.2015 को अपने भाई प्रतिवादी मोहनलाल के पक्ष में करवाई हुई है। उक्त दोनो वसीयत नोटेरी पब्लिक से अनुप्रमाणित है वसीयत के अनुसार वाद उक्त वर्णित 4 बीघा कागजात जमाबन्दी में अपने नाम गैर खातेदारी अंकित करवाना चाहता है। प्रतिवादी ने अपना जबाव दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वाद का समर्थन करते हुवे अपने पक्ष में निष्पादित वसीयतनुसार	

(6/..)

चेतराम की 4 बीघा कृषि भूमि अपने नाम गैर खातेदारी 4 बीघा कृषि गैर खातेदारी दर्ज करवाना चाहता है। चेतराम का देहान्त दिनांक 06.08.2017 को हो चुका है। चेतराम लाऔलाद फौत हुवा है। पक्षकारान ने राजीनामा दिनांक 07.03.2018 में भी चेतराम द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 20.03.2015 के अनुसार 4 बीघा कृषि भूमि वादी राम सिह व 4 बीघा भुमि प्रतिवादी मोहनलाल के नाम गैर खातेदारी दर्ज किये जाने में अपनी सहमति दी है। पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद भी नही है। लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुऐ आदेश दिया जाता है कि मुताबिक राजीनामा चक नं 1 एम ओ डी के प. न. 102/250 (5) के कि. न. 6, 7, 14 15 तादादी 1.012 हैक्टर राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में वादी रामसिंह पुत्र अमर सिंह जाति जाट निवासी मक्कासर के नाम से गैर खातेदारी व चक नं 1 एम ओ डी के प. न. 102/250 (5) के किला नं 4, 5, तादादी 0.506 हैक्टर व चक नं 2 जे आर के प. न. 102/249(44) के कि. न. 24, 25 तादादी 0.506 हैक्टर कुल तादादी 1.012 हैक्टर राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में प्रतिवादी मोहनलाल पुत्र डूगरराम जाति जाट निवासी मक्कासर के नाम गेर खातेदारी दर्ज की जावे। नियमानुसार उक्तानुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावे। यदि बैंक ऋण बकाया है तो डिक्री का अमल दरामद ऋण चुकता से बाद किया जावे।

निर्णय आज मेरे द्वारा आज दिनांक 14.05.2018 को राजस्व लोग अदालत कैम्प मक्कासर में सुनाया गया, पत्रावली फैसला शुमार की जाकर नम्बर के कम की जावे।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

(5)

डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः–सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) मक्कासर
पीठासीन अधिकारी :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित, आर.ए.एस.

रामसिंह बनाम मोहनलाल आदि

दावा बाबत 88 आर.टी.ए., राजस्व वाद संख्याः–336/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मेरे बहाजरी श्री रमेशदास पुरोहित एडवोकेट अधिवक्ता–वादी व श्री चानण राम वर्मा एडवोकेट प्रतिवादी उपस्थित होकर आदेश दिया जाता है कि वादपत्र वादीगण मुताबिक राजीनामा चक नं0 1 एम.ओ.डी. के प.न. 102/250 (5) के किला नं0 6, 7, 14, 15, कुल तादादी1.012 है0 राजस्व अभिलेख जमाबन्दी मे वादी रामसिंह पुत्र अमर सिंह जाति जाट निवासी मक्कासर के नाम से गैर खातेदारी व चक न0 1 एम.ओ.डी. के प0न0 102/250 (5) के किला नं0 4, 5, तादादी 0.506 है0 व चक न0 2 जे.आर.के. प0न0 102/249 (44) के किला नं0 24, 25 तादादी 0.506 है0 कुल तादादी 1.012 है0 राजस्व अभिलेख जमाबन्दी मे प्रतिवादी मोहनलाल पुत्र डूगराराम जाति जाट निवासी मक्कासर के नाम गैर खातेदारी दर्ज की जावे। बैंक ऋण चुकता होने पर डिक्री का अमलदरामद किया जावे।

..........x..........लीज..........x..........मुबलिग..........x..........बातत..........x..........
..........खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह..........x..........से तारीख वसुलयावी..........x..........

बसिब्त मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 14–05–2018 से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

विवरण पक्षकार

रामसिंह पुत्र श्री अमर सिंह पुत्र श्री डुगरराम जाति जाट (पुनिया) निवासी वार्ड न0 16 मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ।

––वादी––

बनाम

मोहनलाल पुत्र श्री डूगरराम जाति जाट (पुनिया) निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ।

––प्रतिवादी––

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner